राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

पत्रांक-स्था॰-2/14(पार्ट)-2201 /रा॰स॰(।।।) दिनांक-26-9-17

प्रेषक,

संजय कुमार

विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय-दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि इस पत्र के साथ इस सचिवालय के पत्रांक- स्था॰-2/14(पार्ट)-2189/रा.स.(।।।) दिनांक 22.09.2017 की मूल प्रति एवं प्रकाशन सामग्री की सी॰डी॰ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में इसको प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

26/9/2017

(संजय कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

28

राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना ।

राजभवन, पटना 800 022

पत्रांक- स्था०-2/14(पार्ट)-2189/रा०स०(III) दिनांक-22-09-17

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा निजी सहायक / आशुलिपिक के पद पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन हेतु

प्रेस विज्ञप्ति

(निजी सहायक / आशुलिपिक (अंग्रेजी) के एक रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञप्ति ।)

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना में निजी सहायक / आशुलिपिक के रिक्त दो पद पर (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) भारत सरकार / राज्य सरकार से सेवानिवृत कर्मी को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन प्रस्तावित है। पद का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतन बैंड+पे ग्रेड	रोस्टर बिन्दु
01	निजी सहायक / आशुलिपिक (अंग्रेजी एवं हिन्दी)	02 (01 अंग्रेजी एवं 01 हिन्दी)	9300-34800+4600	1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1. अनारक्षित

अतः राज्यपाल सचिवालय में निजी सहायक / आशुलिपिक के दो रिक्त पदों के विरूद्ध पुनर्नियोजन हेतु निम्नांकित शर्तों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1. उपरोक्त पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी अथवा उक्त पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त / पदस्थापन की स्थिति में सेवा स्वत: समाप्त हो जायेगा । आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष अवधि के लिए दो बार विस्तार किया जा सकता है। अवधि विस्तार के लिये सेवा का संतोषजनक पाया जाना आवश्यक होगा ।
2. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।
3. अनुबंध अवधि की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।
5. ऐसी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, अत: आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
6. चयन हेतु कार्मिक का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा ।
7. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा । चयन समिति आवश्यकतानुसार साक्षात्कार कर अपनी अनुशंसा देगी ।
8. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।
9. अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मी को प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की राशि की घटा कर शेष राशि देय होगी ।

10. निजी सहायक / आशुलिपिक पद से सेवानिवृत्त इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा पूर्व धारित पद की विवरणी सहित स्वयं अथवा निबंधिक डाक से अपना आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पते पर समर्पित कर सकते हैं ।

राज्यपाल के प्रधान सचिव

आवेदन का विहित प्रपत्र

छायाचित्र (पासपोर्ट आकार का)

1.	आवेदक का नाम	:-	....
2.	आवेदक के पिता का नाम	:-	....
3.	स्थाई पता	:-	....
4.	पत्राचार का पता (मोवाईल न॰ के साथ)	:-	....
5.	जन्म तिथि	:-	....
6.	कोटि (सामान्य/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा/ अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति)	:-	....
7.	शैक्षणिक योग्यता	:-	....
8.	तकनीकी योग्यता	:-	....
9.	पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं)	:-	....
10.	पूर्व अनुभव (अवधि के साथ)	:-	....
11.	पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो तो)	:-	....
12.	सेवा अवधि में कभी दंडात्मक कार्रवाई हुई हो, तो उसका विवरण	:-	....
13.	किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा Case लंबित हो तो उसका विवरण	:-	....

घोषणा

मैं .... यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

तिथि:-